

**राजस्थान वित्त विधेयक, 2013**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 और राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

**अध्याय 1 प्रारम्भिक**

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2013 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 15 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

**अध्याय 2**

**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन**

3. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "साठ लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचहत्तर लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**अध्याय 3**

**राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन**

**4. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "अपील प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत उप-आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;"।

**5. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"16. विवरणी फाइल करना.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, और ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा कोई भी होटलवाला जिससे, विलास कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किसी नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां आयुक्त की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकेगा या किसी होटल वाले या होटल वालों के किसी वर्ग को विवरणियों में से कोई विवरणी या समस्त विवरणियां फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।"।

**6. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 27 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"27. अपील प्राधिकारी को अपील.-** विलास कर अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपील प्राधिकारी को होगी और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) में और तदधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से संबंधित उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"

**7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 28 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"28. कर बोर्ड को अपील.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन गठित कर बोर्ड को निम्नलिखित के विरुद्ध अपील होगी,-

- (क) धारा 30 या धारा 31 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश;
- (ख) उप-आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश; और
- (ग) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश,

और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) में और तदधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से सम्बन्धित उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"

**8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"29. उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण.-** (1) धारा 28 के अधीन कर बोर्ड द्वारा या धारा 17 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई होटलवाला ऐसे आदेश की तामील की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए, उच्च न्यायालय में इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि इसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है।

(2) आयुक्त, यदि वह धारा 28 के अधीन कर बोर्ड द्वारा या धारा 17 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किसी भी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे

आदेश के पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर कि उसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, उच्च न्यायालय को आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को निदेश दे सकेगा; और ऐसा अधिकारी, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के आयुक्त को लिखित में संसूचित किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन में, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश में अन्तर्वलित विधि के प्रश्न का कथन होगा, और उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को किसी भी रूप में बना सकेगा या विधि के किसी भी अन्य प्रश्न को उठाने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उसे कथित किये गये या उसके द्वारा निश्चित किये गये विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और तदुपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा जो मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो।"

#### अध्याय 4

#### राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

**9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- (ii) "बैंककार" से ऐसा कोई संगम, कोई कम्पनी या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत राज्यक्षेत्र के भीतर, उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजनार्थ जनता से धनराशियों के निक्षेप, जो मांग पर या अन्यथा प्रतिसंदेय हों, और चैक, ड्राफ्ट, आर्डर द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरण स्वीकार करता है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

- (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;
- (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 56 के खण्ड (गगा) में यथा परिभाषित कोई सहकारी बैंक;
- (ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित इसके समनुषंगी बैंकों में से कोई भी बैंक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 3 और, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40) के अधीन गठित तत्समान नये बैंकों में से कोई बैंक;"
- (ii) विद्यमान खण्ड (xvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- (xvi) "छापित स्टाम्प" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,-
- (क) समुचित अधिकारी द्वारा चिपकाये गये और छापित लेबल;
- (ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्भूत या उत्कीर्ण स्टाम्प;
- (ग) फ्रैंकिंग मशीन द्वारा छपाई;
- (घ) किसी भी अन्य पद्धति, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति सम्मिलित है, से कागज पर छपाई या मुद्रण; और
- (ङ) ऐसी अन्य छपाई जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;"
- (iii) विद्यमान खण्ड (xxxiii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxxiv) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxiii-क) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में समनुदेशित किया गया है;" और

(iv) विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर, प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;"।

**10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

(i) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "(जो पचास रुपये से अनधिक और दस रुपये से अन्यून हो)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर लिखत की" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और ऐसे" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्तःस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जब तक कि ऐसी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और साक्ष्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्तःस्थापित की जायेगी।

**11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 36 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 36 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2क) जब धारा 35 के अधीन कलक्टर के समक्ष लायी गयी कोई निष्पादित लिखत, उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और

उसके द्वारा अवधारित शुल्क, उस लिखत की बाबत पहले ही संदत्त किये गये शुल्क से अधिक है तो वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो उसके द्वारा अनुज्ञात किया जाये, शेष रकम के संदाय की अपेक्षा करेगा और ऐसी रकम के संदाय पर कलक्टर, पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (रकम का उल्लेख करते हुए) संदत्त कर दिया गया है।"।

**12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"56. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.-** (1) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे वे देय हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी। (2) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस संपत्ति पर प्रभार होंगी, जो उस लिखत की विषयवस्तु है। (3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रभार की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में की जायेगी और ऐसी प्रविष्टि उक्त अधिनियम के अधीन नोटिस समझी जायेगी। (4) जहां लिखत की विषयवस्तु-

- (i) कोई राजस्व भूमि हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्टि प्रभार की एक प्रति, संबंधित तहसीलदार को भेजी जायेगी जो उस सूचना को भू-अभिलेख में प्रविष्टि करेगा; और
- (ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित, या उसके व्ययनाधीन रखी गयी कोई भूमि हो या कोई भवन या उसका कोई भाग स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर स्थित हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्टि प्रभार की एक प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो ऐसी भूमि या, यथास्थिति, भवन के संबंध में संधारित अभिलेखों में उस सूचना को प्रविष्टि करेगा।"।

**13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 63-क का अन्तःस्थापन.-**  
मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 63 के पश्चात् और विद्यमान धारा 64 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

**"63-क. स्टाम्पों का अविधिमान्य होना और व्यावृत्ति.-** धारा 58, 61, 62 और 63 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. ....) के प्रारंभ की तारीख (जिसे इसमें आगे "उक्त तारीख" कहा गया है) को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है, उसके क्रय की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में लिया जायेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो क्रय किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में मोक का कोई दावा नहीं किया गया हो, अविधिमान्य हो जायेगा;

(ख) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो उक्त तारीख से पूर्व क्रय किया गया हो किन्तु उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में किसी मोक का दावा नहीं किया गया हो, उक्त तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उपयोग में लिया जा सकेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसा स्टाम्प, जिसे छह मास की पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया या प्रस्तुत नहीं किया गया है, अविधिमान्य हो जायेगा।"

**14. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 85 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (i)क) और (xxxvi)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (i)क) और (xxxvii)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का" के स्थान पर अभिव्यक्ति



"इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेख, कागज, दस्तावेज या कार्यवाहियां हैं, जिनके निरीक्षण का" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-खण्ड अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसीलदार" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) विद्यमान अभिव्यक्ति "कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

## अध्याय 5

### राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 में संशोधन

15. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008, (2008 का अधिनियम सं. 11) की धारा 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

## अध्याय 6

### राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में संशोधन

16. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 40 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) उपबंधित करती है कि कोई व्यवहारी, जिसका वार्षिक पण्यवर्त किसी वर्ष में साठ लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपने पण्यवर्त पर कर के संदाय का विकल्प दे सकेगा। इस सुविधा को ऐसे व्यवहारी तक बढ़ाये जाने की दृष्टि से, जिसका वार्षिक पण्यवर्त पचहत्तर लाख रुपये तक है, इस धारा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि साठ लाख रुपये की पूर्वोक्त रकम को पचहत्तर लाख रुपये द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।

### राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में विवरणियों, अपील और पुनरीक्षण से संबंधित उपबंधों को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के समान करने के लिए इस अधिनियम की धारा 2, 16, 27, 28 और 29 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

### राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि बैंककार में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित इसके समनुषंगी बैंकों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्समान नये बैंकों में से कोई बैंक सम्मिलित है।

छापित स्टाम्प की परिभाषा में इलैक्ट्रोनिक पद्धति या किसी भी अन्य पद्धति द्वारा कागज पर छपाई या मुद्रण को सम्मिलित करने और राज्य सरकार को, उक्त

परिभाषा के प्रयोजन के लिए किन्हीं भी छपाइयों को विनिर्दिष्ट करने के लिए, सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xvi) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिभूति को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 में एक नया खण्ड (xxxiii-क) अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xxxvi) के अधीन किसी एजेन्सी या व्यक्ति को प्राधिकृत करने हेतु महानिरीक्षक, स्टाम्प के स्थान पर राज्य सरकार को सशक्त करने और स्टाम्प की परिभाषा में 'प्रमाणपत्र' अन्तःस्थापित करने के लिए उक्त खण्ड को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

न्यायनिर्णयन की फीस को बढ़ाकर न्यूनतम दस रुपये से न्यूनतम पचास रुपये करने और अधिकतम पचास रुपये से अधिकतम दो सौ रुपये करने के लिए, तथा आवेदक से न्यायनिर्णयन के लिए प्रस्तुत लिखत की संक्षिप्ति के विकल्प के रूप में सत्य प्रतिलिपि की अपेक्षा करने के लिए, कलक्टर को सशक्त करने हेतु, अधिनियम की धारा 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

जहां किसी निष्पादित लिखत पर धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क, ऐसी लिखत पर पहले से संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क से अधिक हो, वहां संदेय स्टाम्प शुल्क की शेष रकम के संदाय की अपेक्षा करने के लिए कलक्टर को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 36 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 56 को यह उपबन्धित करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस सम्पत्ति पर प्रभार होंगी जो उस लिखत की विषयवस्तु है और ऐसे प्रभार की प्रविष्टियां, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में और साथ ही, राजस्व भूमि के मामले में भू-अभिलेखों में, और स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्रों में स्थित भूमियों और भवनों के मामले में, उनके यहां संधारित भूमि और भवनों के अभिलेखों में, करना आज्ञापक है।

स्टाम्पों का दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से, स्टाम्पों की विधिमान्यता की कालावधि, उनके क्रय की तारीख से या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास तक नियत करने के लिए और यह उपबन्धित करने के लिए कि, यदि कोई स्टाम्प इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके क्रय की तारीख से या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया है और न ही उसके संबंध में मोक का कोई दावा किया गया है तो ऐसा स्टाम्प, उक्त छह मास की कालावधि की समाप्ति पर अविधिमान्य हो जायेगा, अधिनियम में एक नयी धारा 63-क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 85 उपबन्धित करती है कि कलक्टर उप-खण्ड अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को स्टाम्प शुल्क के अपवंचन या परिवर्जन के मामलों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए लोक कार्यालयों इत्यादि में निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अब, यह प्रस्तावित है कि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, तहसीलदार से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए कलक्टर को सशक्त किया जाये। यह भी उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है कि इस धारा में प्रयुक्त पद 'अभिलेखों' में इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों को भी सम्मिलित किया जाएगा। धारा 2 के खण्ड (xxxvii) के संदर्भ को ठीक किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 85 को समुचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

### **राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008**

राज्य के विभिन्न भागों में, खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य परियोजनाएं क्रियान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्गृहीत किया गया था। धारा 16 के वर्तमान उपबंधों में, प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन के लिए खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की ऊपरी सीमा पांच सौ रुपये विहित है। इससे राज्य सरकार पर, प्रभावित जनसंख्या की बाबत स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने या प्रदूषण कम करने के बढ़े हुए खर्चों के अनुपात में उपकर प्रभारित करने के लिए, निर्बंधन अधिरोपित है। इस ऊपरी सीमा के कारण राज्य सरकार, किसी भी खनिज पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर प्रति टन पांच सौ रुपये से अधिक प्रभारित नहीं कर सकती और उसे विभिन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य परियोजनाएं क्रियान्वित करने में कठिनाई होती है। इसलिए, धारा 16 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि खनिज अधिकारों पर पर्यावरण

और स्वास्थ्य उपकर की ऊपरी सीमा को, प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन के लिए, पांच सौ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जा सके।

### **राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956**

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में राज्यपाल महोदय को, उन अपूर्वदृष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि सौंपने का प्रावधान है जिनकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्ष 2008 में किये गये गत पुनरीक्षण के पश्चात् बजट के आकार में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह अपूर्वदृष्ट आकस्मिक मांग में बढ़ोतरी भी संभावित है। अतः राजस्थान आकस्मिकता निधि में अग्रदाय की रकम को दो सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पाँच सौ करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**अशोक गहलोत, प्रभारी  
मंत्री।**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत  
महामहिम राज्यपाल महोदया की सिफारिश**

**[सं.प.12(11)वित्त/कर/2013 दिनांक 06.03.2013**

**प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान  
विधान सभा, जयपुर]**

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

## **वित्तीय जापन**

विधेयक के खण्ड 16 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि में से तीन सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि में संदत्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

यह अनावर्ती प्रकार का व्यय है।

**अशोक**  
**गहलोत, प्रभारी**  
**मंत्री।**

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 16 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, वह कालावधि जिसके लिए, और वह प्ररूप और रीति जिसमें, और वह समय जिसके भीतर-भीतर, और वह प्राधिकारी विहित करने के लिए, जिसको इस अधिनियम के अधीन विवरणियां फाइल की जायेंगी, सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

**अशोक  
गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।**



**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4)  
से लिये गये उद्धरण**

XX  
XX

XX

XX

**3. कर का भार.-** (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में प्रगणित व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसा वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में साठ लाख रुपये से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX

XX  
XX

XX

XX

**राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990  
(1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण**

XX  
XX

XX

XX

**2. परिभाषाएं.-** (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कारबार" के अन्तर्गत धनीय प्रतिफल के बदले निवास स्थान या भोजों, समारोहों या उत्सवों को आयोजित करने के प्रयोजन के लिए कोई निवास स्थान या कोई भी स्थान उपलब्ध कराने के क्रियाकलाप और ऐसे क्रियाकलापों के संबंध में या उससे आनुषंगिक कोई अन्य सेवा है, चाहे ऐसे क्रियाकलाप अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से किये गये हों या नहीं और चाहे ऐसे क्रियाकलापों से कोई भी अभिलाभ या लाभ उद्भूत होता हो या नहीं;

(ख) से (फ) XX

XX

XX

(2) XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

**16. विवरणियां.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला ऐसी विवरणियां ऐसी कालावधियों के लिए, ऐसी तारीखों तक, और ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किया जाये।

XX

XX

XX

XX

**27. प्रथम अपील.-** विलास-कर अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील विक्रय-कर अधिनियम के अधीन नियुक्त उप-आयुक्त (अपील) को हो सकेगी और विक्रय-कर अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से संबंधित समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

**28. द्वितीय अपील.-** इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन उप-आयुक्त (अपील) के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील, विक्रय-कर अधिनियम के अधीन गठित कर बोर्ड को की जा सकेगी और विक्रय-कर अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के ऐसी अपील से संबंधित समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

**29. विशेष मामलों में राजस्थान कराधान अधिकरण को पुनरीक्षण.-** विलास कर अधिकारी या धारा 28 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस आधार पर कि मामले में विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए राजस्थान कराधान अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 19) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान कराधान अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और विक्रय कर अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

XX

XX

XX

XX

**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14)**

**से लिये गये उद्धरण**

XX  
XX

XX

XX

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

(i) से (i)क) XX XX XX

(ii) "बैंककार" से ऐसा कोई संगम, कोई कम्पनी या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत राज्यक्षेत्र के भीतर, उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजनार्थ जनता से धनराशियों के निक्षेप, जो मांग पर या अन्यथा प्रतिसंदेय हों, और चैक, ड्राफ्ट, आर्डर द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरण स्वीकार करता है;

(iii) से (xv) XX XX XX

(xvi) "छापित स्टाम्प" के अन्तर्गत निम्नलिखित है,-

(क) समुचित अधिकारी द्वारा चिपकाये गये और छापित लेबल, और

(ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्धृत या उत्कीर्ण स्टाम्प;

(xvii) से (xxxv) XX XX XX

(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन है और इसमें आसंजक या छापित स्टाम्प भी सम्मिलित है;

XX  
XX

XX

XX

**35. समुचित स्टाम्प के बारे में न्यायनिर्णयन.-** (1) जब कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहले ही स्टाम्पित हो या न हो, कलक्टर के पास लायी जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में, यदि कोई हो, जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी को राय के लिए आवेदन करता है और ऐसी रकम को (जो पचास रुपये से अनधिक और दस रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है, तब कलक्टर उस शुल्क को, यदि कोई हो, अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

(2) इस प्रयोजन के लिए कलक्टर लिखत की संक्षिप्ति और ऐसे शपथपत्र या अन्य साक्ष्य के दिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिए

आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां, उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसी संक्षिप्ति और साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जायें वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु,-

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत, जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जायेगा; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसमें ऐसी लिखत में उपर्युक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हो।

(3) जहां कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उप-धारा (1) के अधीन शुल्क अवधारित करने के लिए उसके समक्ष लायी गयी लिखत में संपत्ति का बाजार मूल्य सही प्रकार से उपवर्णित नहीं किया गया है, वह ऐसी जांच के पश्चात् जो वह उचित समझे और लिखत लाने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित कर सकेगा।

**36. कलक्टर द्वारा प्रमाणपत्र.-** (1) जब धारा 35 के अधीन कलक्टर के समक्ष लायी गयी कोई लिखत उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है, और-

(क) कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह पहले से ही पूर्णतः स्टाम्पित है, या

(ख) धारा 35 के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बाबत पहले ही संदत्त किये गये शुल्क सहित ऐसी राशि, जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है, संदत्त की गयी है, तब कलक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर

प्रभार्य पूर्ण शुल्क (जिसकी रकम कथित की जायेगी) संदत्त कर दिया गया है।

(2) जब उसकी राय में ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कलक्टर उपयुक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(3) किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस धारा के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या, यथास्थिति, शुल्क से प्रभार्य नहीं है, और यदि वह शुल्क से प्रभार्य है तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जाने योग्य होगी और उसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरंभ में ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी:

परन्तु इस धारा की कोई बात कलक्टर को किसी ऐसी लिखत, जो दस पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य है या किसी ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित न किये गये कागज पर लिखे जाने या निष्पादन के पश्चात् उसके समक्ष लाया जाता है, पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि,-

(क) किसी ऐसी लिखत पर, जो राज्य में निष्पादित की गयी हो या प्रथम बार निष्पादित की गयी हो और जो उसके निष्पादन या, यथास्थिति, प्रथम बार निष्पादन के एक मास के भीतर कलक्टर के समक्ष लायी गयी हो; या

(ख) किसी ऐसी लिखत पर, जो राज्य के बाहर निष्पादित की गयी हो या प्रथम बार निष्पादित की गयी हो और राज्य में प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर कलक्टर के समक्ष लायी गयी हो;

उसके निष्पादन के समय लागू शुल्क से प्रभार्य होगी और जहां कोई लिखत ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ऐसी लिखत पर ऐसा शुल्क प्रभार्य होगा, जो कलक्टर के समक्ष उसे प्रस्तुत करते समय लागू हो और जिसकी संगणना, उसे प्रस्तुत करने की तारीख को विद्यमान बाजार-मूल्य, जहां कहीं भी लागू हो, के आधार पर की जायेगी और वह तदनुसार प्रमाणित करेगा।

XX  
XX

XX

XX

**56. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.-** इस अध्याय के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस

व्यक्ति की, जिसके द्वारा वे देय हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेगी।

XX  
XX

XX

XX

**85. पुस्तकें, आदि निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी.-** (1) प्रत्येक लोक अधिकारी, या धारा 2 के खण्ड (i) और (xxvi) में निर्दिष्ट संगम या स्टॉक एक्सचेंज जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाये, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका कर्तव्य यह देखना है कि समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है या कलक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उप-खण्ड अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को ऐसे प्रयोजन के लिए किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्ट्रों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और टिप्पण और उद्धरण, जो वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

(2) ऐसा प्रत्येक लोक अधिकारी मांग किये जाने पर कलक्टर को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों की मूल या अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करायेगा।

XX  
XX

XX

XX

**राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम सं. 11)  
से लिये गये उद्धरण**

XX  
XX

XX

XX

**16. खनिज अधिकारों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.-** संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित किन्हीं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ऐसे खनिजों के संबंध में, और प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन पर पांच सौ रूपये से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें,

विहित रीति से खनिज संबंधी अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

XX  
XX

XX

XX

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम सं. 40) से  
लिये गये उद्धरण

XX  
XX

XX

XX

3. राज्य आकस्मिकता निधि की स्थापना, उसकी अभिरक्षा और उसमें से रकमों का निकाला जाना.- (1) राज्य के लिए नियत दिन से अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि होगा और जिसमें राज्य की संचित निधि में से दो सौ करोड़ रुपये दिया जायेगा।(2)

XX

XX

XX

XX

XX  
XX

XX

XX

*(Authorized English Version)*

**THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2013**  
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Finance Act, 2008 and the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2013-14 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title.-** This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2013.

**2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.-** In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clause 15 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II**  
**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

**3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In subsection (2) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression “rupees sixty lacs”, the expression “rupees seventy five lacs” shall be substituted.



**CHAPTER III**  
**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN**  
**HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990**

**4. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** In section 2 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the existing clause (a) of sub-section (1) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa), so renumbered, the following shall be inserted, namely:-

“(a) "appellate authority" means a person not below the rank of the Deputy Commissioner authorized as such by the State Government;”.

**5. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** For the existing section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**16. Filing of return.-** (1) Every registered hotelier shall furnish return for such period, in such form and manner, within such time, and to such authority, as may be prescribed.

(2) Any hotelier as may be required by a notice to do so by the Luxury Tax Officer or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf shall furnish return for such period, in such form and manner, and within such time, as may be specified in the notice.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by notification in the Official Gazette extend the date of submission of returns or may dispense with the requirement of filing of any or all the returns by a hotelier or a class of hoteliers.”.

**6. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** For the existing section 27 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**27. Appeal to the Appellate Authority.-** An appeal against any order of a Luxury Tax Officer shall lie to the appellate authority and the provisions relating to such appeal in the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and the rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.”.

**7. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** For the existing section 28 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“28. Appeal to the Tax Board.-** An appeal shall lie to the Tax Board, constituted under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) against,-

- (a) an order passed by the Commissioner under section 30 or section 31;
- (b) an order passed under the Act by the Deputy Commissioner; and
- (c) an order passed by an appellate authority,

and the provisions relating to such appeal in the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and the rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.”.

**8. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** For the existing section 29 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“29. Revision to the High Court.-** (1) Any hotelier aggrieved by an order passed by the Tax Board under section 28 or under sub-section (9) of section 17, may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court for revision of such order on the ground that it involves a question of law.

(2) The Commissioner may, if he feels aggrieved by any order passed by the Tax Board under section 28 or under sub-section (9) of section 17, direct any officer to apply to the High Court for revision of such order on the ground that it involves a question of law; and such officer shall make the application to the High Court within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be revised is communicated in writing to the Commissioner.

(3) The application for revision under sub-section (1) or sub-section (2) shall state the question of law involved in the order sought to be revised, and the High Court may formulate the question of law in any form or allow any other question of law to be raised.

(4) The High Court shall after hearing the parties to the revision, decide the question of law stated to it or formulated by it, and shall thereupon pass such order as is necessary to dispose of the case.”.

**CHAPTER IV**  
**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

**9. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) "Banker" means an association, a company or a person who accepts, for the purpose of lending or investment, deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by cheque, draft, order, or otherwise within the territories of India and includes-

(a) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949);

(b) a co-operative bank as defined in clause (cci) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949);

(c) the State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955(Central Act No. 23 of 1955), any of its subsidiary banks as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (Central Act No. 38 of 1959) and any of the corresponding new banks constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act No. 5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Central Act No. 40 of 1980), as the case may be;”;

(ii) for the existing clause (xvi), the following shall be substituted, namely:-

“(xvi) "impressed stamp" includes, -

(a) labels affixed and impressed by the proper officer;

(b) stamps embossed or engraved on stamped paper;

(c) impression by franking machine;

(d) impression or print on a paper by any other method including electronic method; and

(e) such other impressions as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify;”;

(iii) after the existing clause (xxxiii) and before the existing clause (xxxiv), the following shall be inserted, namely:-

“(xxxiii-a) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956); ”; and

(iv) for the existing clause (xxxvi), the following shall be substituted, namely:-

“(xxxvi) "Stamp" means any mark, seal, certificate or endorsement by any agency or person duly authorised by the State Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of duty chargeable under this Act; ”.

**10. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In section 35 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1) for the existing expression “(not exceeding fifty rupees and not less than ten rupees)”, the expression “(not exceeding two hundred rupees and not less than fifty rupees)” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) after the existing expression “require to be furnished with” and before the existing expression “an abstract of the instrument”, the expression “a true copy or” shall be inserted; and

(b) after the existing expression “proceed upon any such application until such” and before the existing expression “abstract and evidence”, the expression “true copy or” shall be inserted.

**11. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** After the existing sub-section (2) and before the exiting sub-section (3) of section 36 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“(2A) When an executed instrument brought to the Collector under section 35 is, in his opinion, one of the descriptions chargeable with duty and the duty determined by him exceeds the duty already paid in respect of the instrument, he shall require the payment of the balance amount within reasonable time as may be allowed by him and on payment of such amount the Collector shall certify by endorsement that the full duty (stating the amount), with which it is chargeable, has been paid.”.

**12. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** For the existing section 56 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“56. Recovery of duties and penalties.-** (1) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter III may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable or immovable property of the person, from whom the same are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

(2) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter III shall be a charge on the property which is the subject matter of the instrument.

(3) An entry of the charge referred to in sub-section (2) shall be made in the indices specified in the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and such entry shall be deemed to be a notice under the said Act.

(4) Where the subject matter of the instrument is-

- (i) a revenue land, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the Tehsildar concerned who shall enter the information in the land records; and
- (ii) a land vested in, or placed at the disposal of, a local authority or a building or any part thereof situated within the area of a local authority, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the local authority concerned which shall get the information entered into the records maintained in respect of such land or building, as the case may be.”.

**13. Insertion of section 63-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** After the existing section 63 and before the existing section 64 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

**“63-A. Invalidation of stamps and saving.-** Notwithstanding anything contained in sections 58, 61, 62 and 63,-

- (a) any stamp which has been purchased on or after the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2013 (Act No..... of 2013) (hereinafter referred to as “the said date”) shall be used or presented for claiming allowance within a period of six months from the date of purchase. Any such stamp, which has not been used or no allowance has been claimed in respect

thereof within the period of six months from the date of purchase, shall be rendered invalid;

- (b) any stamp which has been purchased but has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof before the said date, may be used or presented for claiming the allowance under the relevant provisions of the Act within a period of six months from the said date. The stamp which has not been used or presented within the aforesaid period of six months shall be rendered invalid.”.

**14. Amendment of section 85, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In section 85 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
- (a) for the existing expression “clause (ia) and (xxxvi) ”, the expression “clause (ia) and (xxxvii) ” shall be substituted;
  - (b) for the existing expression “records, papers documents or proceedings, the inspection”, the expression “records including electronic records, papers, documents or proceedings, the inspection” shall be substituted;
  - (c) for the existing expression “Sub Divisional Officer”, the expression “Tehsildar” shall be substituted; and
  - (d) for the existing expression “papers, documents and proceedings and to take”, the expression “records including electronic records, papers, documents and proceedings and to take” shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (2) for the existing expression “records, papers, documents or proceedings”, the expression “records including electronic records, papers, documents or proceedings” shall be substituted.

## **CHAPTER V**

### **AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2008**

**15. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 11 of 2008.-** In section 16 of the Rajasthan Finance Act, 2008 (Act No. 11 of 2008), for the existing expression “rupees five hundred”, the expression “rupees five thousand” shall be substituted.

## **CHAPTER VI**

### **AMENDMENT IN THE RAJASTHAN CONTINGENCY**

## **FUND ACT, 1956**

**16. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 40 of 1956.-** In subsection (1) of section 3 of the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 (Act No. 40 of 1956), for the existing expression “two hundred crores of rupees”, the expression “five hundred crores of rupees” shall be substituted.

## **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

### **THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

Sub-section (2) of section 3 of the Act provides that a dealer whose annual turnover does not exceed rupees sixty lacs in a year may opt for payment of tax on his turnover. With a view to extend the facility to the dealer whose annual turnover is up to rupees seventy five lacs, the section is proposed to be amended so as to replace the aforesaid amount of sixty lacs by the amount of seventy five lacs.

### **THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990**

In order to bring the provisions of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 relating to returns, appeal and revision, at par with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the provisions of the sections 2, 16, 27, 28 and 29 of this Act are proposed to be amended.

### **THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

Clause (ii) of section 2 of the Act is proposed to be amended to clarify that banker includes a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949, a co-operative bank as defined in the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 and its subsidiary banks as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and any of the corresponding new banks constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

Clause (xvi) of section 2 of the Act is proposed to be amended to include in the definition of impressed stamp, impression or print on a paper by electronic method or any other method and also to empower the State Government to specify any other impressions for the purpose of the said definition.

A new clause (xxxiii-a) is proposed to be inserted in section 2 of the Act to define securities.

Clause (xxxvi) of section 2 of the Act is proposed to be amended to empower the State Government, instead of Inspector General of Stamps, to



authorize any agency or person under the said clause and also to insert 'certificate' in the definition of Stamp.

Section 35 of the Act is proposed to be amended to increase the fee of adjudication from minimum ten rupees to minimum fifty rupees and from maximum fifty rupees to maximum two hundred rupees and also to empower the Collector to require true copy of the instrument presented for adjudication from the applicant as an alternative of abstract of the instrument.

Section 36 of the Act is proposed to be amended to empower the Collector to require payment of the balance amount of stamp duty payable on an executed instrument where the stamp duty adjudicated thereon under section 35 is in excess of the stamp duty already paid on such instrument.

Section 56 of the Act is proposed to be amended to provide that the duties, penalties and other sums required to be paid under this Act shall be a charge on the property which is the subject matter of the instrument and to make it mandatory to make entries of such charge in the indices specified in the Registration Act, 1908 as also in the land records, in case of the revenue land, and in the records of land and buildings maintained in the local authorities, in case of lands and buildings situated in their areas.

With a view to bar misuse of stamps, a new section 63-A is proposed to be inserted in the Act to fix the validity period of stamps up to six months from the date of its purchase or from the date of coming into force of this Act and to provide that if any stamp is not used and neither any allowance is claimed in respect of any stamp under the provisions of the Act within six months from the date of its purchase or from the date of coming into force of this Act, such stamp shall be rendered invalid on the expiry of the said period of six months.

Section 85 of the Act provided that Collector may authorize an officer not below the rank of Sub Divisional Officer to inspect public offices etc. for the purpose of detection of cases of evasion or avoidance of stamp duty. Now, it is proposed that the Collector be empowered to authorize an officer not below the rank of a Tehsildar for the aforesaid purpose. It is also proposed to provide that the term 'records' used in this section shall include electronic records also. A reference to clause (xxxvii) of section 2 is also proposed to be corrected. Accordingly, section 85 is proposed to be amended suitably.

### **THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2008**

Environment and Health Cess was levied by Rajasthan Finance Act, 2008 with a view to implement environmental and health projects in mining areas, in various parts of the State. Present provisions of section 16 prescribe upper limit of the environment and health cess on mineral rights of rupees five hundred for

each tonne of mineral dispatched. This imposes a restriction on the State Government to charge cess in proportion to the enhanced costs of providing health care or reducing pollution in respect of the affected population. Due to this upper limit, State Government cannot charge environment and health cess higher than rupees five hundred per tonne on any mineral and finds it difficult to implement various environmental and health projects. Therefore, section 16 is proposed to be amended so as to enhance the upper limit of environment and health cess on mineral rights from rupees five hundred to rupees five thousand for each tonne of mineral dispatched.

### **THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956**

The Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 makes a provision of a sum of two hundred crores of rupees to be placed at the disposal of the Governor for meeting unforeseen expenditure not provided for in the budget. Size of Government budget has increased almost double since last revision in 2008. Likewise, demands of unforeseen items are also likely to go up. It is, therefore, proposed that the imprest in the Rajasthan Contingency Fund be raised from two hundred crores of rupees to five hundred crores of rupees.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**अशोक गहलोट,  
Minister Incharge.**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम  
राज्यपाल महोदया की सिफारिश

[सं.प.12(11)वित्त/कर/2013 दिनांक 06.03.2013

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान  
सभा, जयपुर]

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

## **FINANCIAL MEMORANDUM**

Attention is invited to clause 16 of the Bill whereby an additional amount of three hundred crores of rupees is provided to be paid in the Contingency Fund of the State of Rajasthan from and out of the Consolidated Fund of the State.

The expenditure will be of a non-recurring nature.

**अशोक गहलोत,  
Minister Incharge.**

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 5 of the Bill, which seeks to substitute section 16 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the period for, and the form and manner in, and the time within, and the authority to, which returns under the said Act shall be filed.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

**अशोक गहलोट,  
Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX  
ACT, 2003 (Act No. 4 of 2003)**

**XX** **XX** **XX** **XX**

**3. Incidence of tax.-** (1) **XX** **XX** **XX**

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than that enumerated in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that such annual turnover does not exceed rupees sixty lacs in a year.

(3) to (6) **XX** **XX** **XX**

**XX** **XX** **XX** **XX**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES  
(IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990  
(Act No. 9 of 1996)**

**XX** **XX** **XX** **XX**

**2. Definitions.-** (1) In this Act, unless the context requires otherwise,-

(a) "business" includes the activities of providing residential accommodation or any place for the purpose of organising parties, ceremonies or functions and any other service in connection with, or ancillary to, such activities for monetary consideration, whether or not such activities are carried on with motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such activities;

(b) to (v) **XX** **XX** **XX**

(2) **XX** **XX** **XX**

**XX** **XX** **XX** **XX**

**16. Returns.-** (1) Every registered hotelier shall furnish returns for such period, by such dates, and to such authority, as may be prescribed.

**XX** **XX** **XX** **XX**

**27. First Appeal.-** An appeal against any order of a Luxury Tax Officer shall lie to the Deputy Commissioner (Appeals) appointed under the Sales Tax Act and all the provisions relating to such appeal in the Sales Tax Act and Rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.

**28. Second Appeal.-** An appeal against any order passed by the Deputy Commissioner (Appeal) under section 27 of this Act, shall lie to the Tax Board, constituted under the Sales Tax Act and all the provisions relating to such appeal in the Sales Tax Act and the Rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.

**29. Revision to the Rajasthan Taxation Tribunal in special cases.-** The Luxury Tax Officer or any person aggrieved by an order passed under section 28, may apply to the Rajasthan Taxation Tribunal as constituted under section 3 of the Rajasthan Taxation Tribunal Act, 1995 (Rajasthan Act No.19 of 1995), for revision of such order on the ground that the case involves a question of law; and the provisions of section 86 of the Sales Tax Act shall *mutatis mutandis* apply to such revision.

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998 (Act No. 14 of 1999)**

XX XX XX XX

**2. Definitions.-** In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context,

(i) to (ia) XX XX XX

(ii) "Banker" means an association, a company or a person who accepts, for the purpose of lending or investment, deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by cheque, draft, order, or otherwise within the territories of India;

(iii) to (xv) XX XX XX

(xvi) "impressed stamp" includes,-

(a) labels affixed and impressed by the proper officer, and

(b) stamps embossed or engraved on stamped paper;

(xvii) to (xxxv) XX XX XX

(xxxvi) "Stamp" means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the Inspector General of Stamps, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of duty chargeable under this Act.

XX

XX

XX

XX

**35. Adjudication as to proper stamp.-** (1) When any instrument, whether executed or not and whether previously stamped or not, is brought to the Collector, and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty, if any, with which it is chargeable, and pays a fee of such amount (not exceeding fifty rupees and not less than ten rupees) as the Collector may in each case direct, the Collector shall determine the duty, if any, with which in his judgment, the instrument is chargeable.

(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with an abstract of the instrument, and also with such affidavit or other evidence as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth therein, and may refuse to proceed upon any such application until such abstract and evidence have been furnished accordingly:

Provided that,-

- (a) no evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil proceeding, except in an inquiry as to the duty with which the instrument to which it relates is chargeable; and
- (b) every person by whom any such evidence is furnished shall, on payment of the full duty with which the instrument to which it relates, is chargeable, be relieved from any penalty which he may have incurred under this Act by reason of the omission to state truly in such instrument any of the facts or circumstances aforesaid.

(3) Where the Collector has reason to believe that the market value of the property has not been truly set forth in the instrument brought to him for determining the duty under sub-section (1) he may, after such inquiry as he may deem proper and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person bringing the instrument, determine the market value of such property for the purpose of duty.



**36. Certificate by Collector.-** (1) When an instrument brought to the Collector under section 35 is, in his opinion, one of a description chargeable with duty, and

- (a) the Collector determines that it is already fully stamped, or
- (b) the duty determined by the Collector under section 35, or such a sum as, with the duty already paid in respect of the instrument, is equal to the duty so determined, has been paid, the Collector shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) with which it is chargeable, has been paid.

(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in the manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.

(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section, shall be deemed to be duly stamped or not chargeable with duty, as the case may be; and, if chargeable with duty, shall be receivable in evidence or otherwise, and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stamped:

Provided that nothing in this section shall authorize the Collector to endorse any instrument chargeable with a duty not exceeding ten paise or any bill of exchange or promissory note, when brought to him, after the drawing or execution thereof, on paper not duly stamped:

Provided further that,-

- (a) any instrument executed or first executed in the State and brought to the Collector within one month of its execution or first execution, as the case may be; or
- (b) any instrument executed or first executed out of State and brought to the Collector within three months after it has been first received in the State;

shall be chargeable with duty as applicable at the time of its execution and where any instrument is presented to the Collector after the period specified above, such instrument shall be chargeable with duty as applicable at the time of its presentation and calculated, on the basis of market value, wherever applicable, prevalent on the date of its presentation before the Collector and he may certify accordingly.

XX

XX

XX

XX

**56. Recovery of duties and penalties.-** All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable or immovable property of the person, from whom the same are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

XX

XX

XX

XX

**85. Books, etc., to be open to inspection.-** (1) Every public officer or the association or stock exchange referred to in section 2, clause (ia) and (xxxvi) having in his custody any registers, books, records, papers, documents or proceedings, the inspection whereof may tend to secure any duty, or to prove or lead to the discovery of any fraud or omission in relation to any duty, shall at all reasonable times, permit any officer whose duty it is to see that proper duty has been paid or any other officer not below the rank of Sub Divisional Officer authorized in writing by the Collector to inspect for such purpose the registers, books, papers, documents and proceedings and to take such notes and extracts as he may deem necessary, without fee or charge.

(2) Every such public officer shall also provide such registers, books, records, papers, documents or proceedings in original or authenticated copy to the Collector or any person authorized by the Collector on demand.

XX

XX

XX

XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FINANCE ACT,  
2008 (Act No. 11 of 2008)**

XX

XX

XX

XX

**16. Levy and collection of cess on mineral rights.-** Subject to any limitation imposed by Parliament by law relating to mineral development, there shall be levied and collected, in such manner as may be prescribed, an environment and health cess on mineral rights in respect of such mineral and at such rates, not exceeding rupees five hundred each tonne of mineral dispatched, as may be notified by the State Government from time to time.

XX

XX

XX

XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND  
ACT, 1956 (Act No. 40 of 1956)**

XX

XX

XX

XX

3. *Establishment of the State Contingency Fund, the custody thereof and withdrawals therefrom.*- (1) With effect from the appointed day there shall be established for the State a Contingency Fund in the nature of an imprest entitled the Contingency Fund of the State of Rajasthan into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the State a sum of two hundred crores of rupees.

(2)	XX	XX	XX	
XX		XX	XX	XX